



UGC-NET

इतिहास

NATIONAL TESTING AGENCY (NTA)

पेपर - 2 || भाग - 3



क्र.सं.	आधुनिक भारत, इतिहास एवं शोध कार्य	पृष्ठ संख्या
1.	ब्रिटिश नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण	1
2.	शासाज़िक और धार्मिक सुधार आनंदोलन	18
3.	शिक्षण सुधार आनंदोलन	37
4.	अंग्रेजों के विरुद्ध प्रारम्भिक विद्रोह एवं 1287 का विद्रोह	47
5.	1857 का विद्रोह	66
6.	1861 से 1900 के दौशन ब्रिटिश नीतियाँ	74
7.	भारतीय राष्ट्रवाद का उद्भव एवं विकास	78
8.	कांग्रेस के गठन से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएँ	83
9.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना	91
10.	मुरिल्लम लीग	101
11.	उग्र राष्ट्रवाद, बंगाल विभाजन एवं द्वंद्वेशी आनंदोलन	104
12.	कांग्रेस का सुरत विभाजन	114
13.	क्रान्तिकारी आनंदोलन	116
14.	मोर्ले-मिंटो सुधार	121
15.	बंगाल विभाजन	123
16.	राष्ट्रीय आनंदोलन का क्रान्तिकारी चरण	130
17.	भारत में गांधीजी के प्रारंभिक शत्याग्रह	132
18.	अशहर्योग आनंदोलन	134
19.	शाइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट	142
20.	शिविन्य अवक्षा आनंदोलन एवं गोलमेड़ा सम्मेलन	145
21.	भारत छोड़ो आनंदोलन	152
22.	संविधान सभा का चुनाव और आंतरिक संरक्षण	157
23.	भारतीय द्वंद्वत्रता अधिनियम	161
24.	देशी रियासतों का आजादी में योगदान	161

25.	स्वतन्त्रता पश्चात भारत	168
26.	पंचवर्षीय योजनाएं एवं नियोजित औद्योगिकीकरण	170
27.	विदेश नीति	175
28.	भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण	179

इतिहास एवं शोध कार्य

1.	ऐतिहासिक प्रणाली, शोध कार्य प्रणाली तथा इतिहास लेखन	180
2.	इतिहास में वर्तुनिष्ठता एवं पूर्वाग्रह	182
3.	अन्वेषणात्मक शक्तिया	184
4.	इतिहास में आलोचना शैलेषण एवं प्रस्तुति	185
5.	इतिहास एवं शहायक विज्ञान	187
6.	इतिहास की प्रकृति	192
7.	इतिहास में कारण कार्य सम्बन्ध और कल्पना	193
8.	क्षेत्रीय इतिहास का महत्व	194
9.	प्रस्तावित शोध का क्षेत्र	198
10.	भारतीय इतिहास लेखन	201
11.	इतिहास में विषय का चयन	204
12.	शोध एवं निर्दिष्ट कार्य लेखन	207
13.	कलाशिक युग और इतिहास लेखन	211
14.	पुनर्जागरण	213
15.	उत्तर आधुनिकतावाद	218

ब्रिटिश नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण

ब्रिटिश नीतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण

मानव इतिहास में संभवतः भारत एकमात्र उदाहरण हैं जहां एक व्यापारिक कंपनी ने अरकार की बागडोर संभाली तभा निरंतर एक व्यापारिक कंपनी के रूप में बनी रही। अपष्ट रूप से कंपनी का पहला और अंतिम उद्देश्य लाभ कराना ही रहा। शासन शासन शार्वजनिक कल्याण का शाधन होने के बजाय लाभ के अधिकाधिक करने का शाधन बन गयी। इसलिए कंपनी की नीतियों का परिणाम जमीदारों की शक्तिहीनता, आम आदमी की दण्डिता और इथानीय कारीगरों की दुर्दशा के रूप में शामने आया।

भारतीयों गांवों पर प्रभाव

ब्रिटिश शासन लागू होने से पहले भारतीय गांव शुद्धार्य केंद्रित थे तथा प्रकृति में आमनिर्भर थे किंतु ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था ने मौजूदा प्रणाली को उल्टा कर दिया। ग्राम पंचायतें अपने पारंपरिक न्यायिक और कार्यकारी कार्यों से वंचित हो गईं। शर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा जिसे निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत देखा जा सकता है।

- ब्रिटिश अरकार की अधि केवल लगान में वृद्धि करने तथा उसका अधिकाधिक हिस्सा प्राप्त करने में थी। इसी लालच की वजह से अंग्रेजों ने देश के कई हिस्सों में भूमि की इथायी बंदोबस्तु व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था में अरकार की मांग तो रिश्वर थी किंतु जमीदारों के द्वारा किसानों से वश्युला जाने वाला लगान परिवर्तनशील था, अतएव कालांतर में लगान की दरों में अत्यधिक वृद्धि कर दी गयी। लगान अदा न करने पर किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जाता था।
- इससे किसान पर भूमि पर अपने पुरुतैनी अधिकारों से हाथ ढी बैठे।
- अरकार द्वारा जमीन की उर्वरता बढ़ाने के लिये अत्यंत कम धन रुच्य किया जाता था। जमीदार, जिन्हें किसानों की भूमि से बेदखल करने का अधिकार था अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते थे तभा लगान में अपने हिस्से को बढ़ाने के लिये किसानों को बेगार (बलपूर्वक कार्य) करने हेतु विवश करते थे।
- कृषि में अधिक धन लगाने हेतु अरकार की ओर से कृषकों को किसी तरह का प्रोत्साहन भी नहीं दिया जाता था।
- कृषकों पर लगान का बोझ अधिक हो जाने पर वे शाहूकारों व ऋष्ण लेने हेतु बाध्य हो जाते थे। शाहूकार, जो अधिकांशतः गांव के अनाज व्यापारी होते थे, काफी ऊंची दरों पर किसानों को ऋष्ण देते थे तथा ऋष्ण चुकाने हेतु उन्हें अपने उत्पाद (अनाज) को निम्न दरों पर बेचने हेतु मजबूर करते थे। इन शक्तिशाली शाहूकारों के प्रशासन एवं न्यायालय से अच्छे संबंध होते थे, जिसका उपयोग वे अपने विश्व होने वाले मुकदमों के लिये करते थे।

इस प्रकार किसानों के ऊपर अरकार, जमीदार एवं शाहूकारों का तिहरा बोझ होता था। अकाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय कृषकों की शमश्यायें और भी बढ़ जाती थीं। अतः ब्रिटिश शासन की नीतियों से भारतीय कृषि पर अत्यंत नकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा कृषकों की दण्डिता अत्यंत बढ़ गयी।

पुराने जमीदारों की तबाही तथा नयी जमीदारी व्यवस्था का उदय

वर्ष 1815 के अंत तक बंगाल की कुल भूमि का लगभग 50 प्रतिशत दूसरे हाथों में स्थानांतरित किया जा चुका था। इन नये हाथों में भूमि के जाने से जमीदारों के एक नये वर्ग का उदय हुआ तथा नये भू-संबंधों का विकास हुआ। जमीदारों के इस नये वर्ग के पास शीमित शक्तियाँ एवं ऋत्यल्प दंशादान थे तथा भूमि पर कब्जे के कारण यह वर्ग अस्तित्व में आया था। लगान व्यवस्था में बिचौलियों के बढ़ने से प्रत्यक्ष जमीदारी का लोप हो गया तथा किसानों पर बोझ और ड्यादा बढ़ गया। भूमि की मांग बढ़ने से इसकी कीमतों में वृद्धि हुई तथा किसानों की क्रय शक्ति से यह और दूर होने लगी। जमीदारों एवं किसानों के मध्य कोई परंपरागत समझौता न होने से इन जमीदारों ने कृषि के विकास के लिये न किसी प्रकार का निवेश किया और न ही इस कार्य में कोई अधि ली। इन जमीदारों का हित ब्रिटिश शासन के चलते होने में ही था और इसीलिये इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अंगेजों का साथ दिया।

कृषि में स्थिरता एवं उत्कीर्णीकरण

कृषकों के पास न ही कृषि के शासन थे और न ही कृषि में निवेश करने के लिये धन था। जमीदारों का गांवों से कोई संबंध नहीं था तथा सरकार द्वारा कृषि तकनीक एवं कृषि से संबंधित शिक्षा पर व्यय किया जाने वाला धन ऋत्यल्प था। इन सभी कारणों से भारतीय कृषि का धीरे-धीरे पतन होने लगा तथा उत्कीर्णीकरण का उत्पादकता बहुत कम हो गयी।

भारतीय कृषि का वाणिड्यीकरण

- उन्नतवी शताब्दी के अंतर्गत में भारतीय कृषि में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वह था कृषि का वाणिड्यीकरण। इस समय तक कृषि कार्य जीविकोपार्जन हेतु किया जाता था, न कि व्यापारिक लाभों हेतु।
- इब कृषि पर वाणिड्यिक प्रभाव अपेक्षित होने लगा। इब कुछ विशेष फसलों का उत्पादन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए होने लगा, न कि ग्रामीण उपयोग के लिए। मूँगफली, गन्ना, पट्टन, कपास, तिलहन, तम्बाकू, मसालों, फलों तथा शब्दियों जैसी वाणिड्यिक फसलों का उत्पादन बढ़ गया क्योंकि ये फसलें इब खाद्यानन की तुलना में अधिक लाभदायक दिख रही लगी थी।
- संभवतः बागान उद्योगों यथा-चाय, काफी, रबर एवं नील इत्यादि में तो कृषि का वाणिड्यीकरण अपने असेवकर्ष में पहुंच गया। इन बागान उद्योगों का अवासित्व लगभग यूरोपीयों के हाथों में था तथा इनके उत्पाद मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के उद्देश्य से ही तैयार किये जाते थे।
- वाणिड्यीकरण और विशेषीकरण की इस प्रक्रिया को कई कारकों ने प्रोत्ताहित किया :
 - शितियों और परंपराओं के स्थान पर संविदा और प्रतियोगिता।
 - एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का अभ्युदय।
 - देशी एवं विदेशी व्यापार में वृद्धि।
 - रेलवे एवं नदक संचार साधनों से राष्ट्रीय मंडी का विकास।
 - अंग्रेजी पूँजी के आगमन से विदेशी व्यापार में वृद्धि इत्यादि।

कृषि के वाणिड्यीकरण के प्रभाव

- भारतीय कृषकों के लिये कृषि का वाणिड्यीकरण एक विवशता थी। भूमि कर ऋत्यधिक होने से उसे छोड़ा कर पाने में वह असमर्थ था। फलतः उसे शाहूकारों से ऋण लेना पड़ता था, जिनकी ब्याज दरें ऋत्यधिक उच्च होती थी। इस ब्याज को चुकाने के लिये उसे अपने उत्पाद को काफी कम मूल्य पर बेचना पड़ता था। कई बार तो उसे अपने ही ऋग्नाज की शाहूकार के यहाँ बेचकर दोबारा जखरत पड़ने पर दोगुने मूल्य पर उसे खरीदना पड़ जाता था।

- कृषि का वाणिड्यीकरण होने से भारतीय कृषि मूल्यों पर विदेशी उत्तर-चढ़ात्र का प्रभाव भी पड़ने लगा। उदाहरणार्थ 1860 के पश्चात कपास के मूल्यों में जो वृद्धि हुई उससे बिचौलियों को काफी लाभ प्राप्त हुआ, जबकि कृषकों को इसका कोई लाभ नहीं मिला।
- इसी प्रकार 1866 में जब मंदी आयी तो इसकी मार किशानों पर पड़ी, जिसके फलस्वरूप गाँवों में किशान ऋण के बोझ में और दब गये, उनकी जमीनें नीलाम हो गईं और उन्हें अकाल का शामना करना पड़ा। परिणामस्तः दक्षिण भारत में बड़े पैमाने पर किशान आंदोलन हुये। इस प्रकार कृषि के वाणिड्यीकरण से न तो कृषकों को कोई लाभ हुआ और न ही कृषि उत्पादन में कोई वृद्धि हुई।

अकाल

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जीवन यापन का मुख्य शाधन खेती ही था। यह मुख्यतः अग्निश्चम वर्षा पर निर्भर था।

- 1757 से 1947 के बीच भारत में 9 बड़े अकाल पड़े।
- 1769-70 के अकाल से बंगाल, बिहार एवं उडीशा की एक तिहाई आबादी नष्ट की गई।
- 1837-38 में, जिसमें शमश्त उत्तरी भारत अकाल घट्ट हुआ 8 लाख व्यक्ति मरे।
- 1861 में पुनः उत्तरी भारत में अकाल पड़ा जिसमें भारी ठंडव्या में जान-माल की क्षति हुई।
- 1866 में उडीशा में अकाल पड़ा जिसमें 10 लाख लोग मरे गए।
- इसी तरह 1868-69 में शजपुताना और बुद्देलखंड में, 1873-74 में बंगाल, बिहार में व 1876 में ठंपूर्ण भारत में अकाल पड़े।
- अंग्रेजी शासनकाल में अकालों की बारंबारता एक महत्वपूर्ण क्षमत्या थी ब्रिटिश लेखक विलियम डिवी के आकलन के अनुसार 1854 से 1901 के बीच लगभग 3 करोड़ लोग अकाल के कारण मरे। जहाँ वर्षा का अभाव, शुक्रा आदि प्राकृतिक आपदाएँ अकालों का एक प्रमुख कारण रही, वही इसका अर्वाधिक गंभीर कारण औपनिवेशिक नीतियाँ थीं। इसी हम निम्नलिखित बिन्दुओं के अनुर्गत देख शकते हैं -
- औपनिवेशिक नीति में अधिक-से-अधिक भू-शजालव वशुली पर बल दिया गया। इसके फलस्वरूप किशान ऋण घट्ट होते गये और उन्हें बार-बार खाद्यानों के अभाव का शामना करना पड़ा।
- कृषि का वाणिड्यीकरण भी एक महत्वपूर्ण कारण था। इसमें किशानों ने नगदी फरलों को उपजाने पर अधिक बल दिया, इससे खाद्यानों का अभाव उत्पन्न हुआ तथा वाणिड्यीकरण का लाभ किशानों को न मिल कर महाजनों और बिचौलियों को मिला।
- भू-शजालव चुकाने और ऋण की अदायगी में विफलता के कारण किशानों की जमीनें महाजनों के हाथों में चली गईं। इससे किशानों की आय घटी। इसका परिणाम यह हुआ कि कृषि उत्पादन और उत्पादकता दोनों ठप हो गई।
- कृषि की अवनति के साथ-साथ उद्योग आदि में भी विकल्पों की कमी थी फलस्वरूप लोगों की आय में लगातार कमी होती चली गई।
- 1820 की प्रबंधन शंखंडी विफलता भी अकाल का महत्वपूर्ण कारण शाबित हुआ।
- इस प्रकार उपरोक्त कारणों ने प्राकृतिक आपदाओं से अधिक तीक्ष्ण प्रभाव उत्पन्न किया जिसके कारण भारत में बारंबार अकालों की पुनरावृति हुई।
- ब्रिटिश शरकार ने अकालों के शमादान के लिए विभिन्न आयोग का गठन किया और क्रमिक रूप से अकाल नीति विकरित की।
- 1860-61 में कर्नल बेर्यर्ड रिम्थ शमिति का गठन किया गया।
- 1866 में जार्ड कॉलवेल शमिति बनाई गई। इसने रोजगार शृजन पर बल दिया तथा यह शिफारिश की कि शहर कार्य शरकार अपने हाथों में ले।

- 1880 में वायसराय लिटन द्वारा एचर्ड स्ट्रेची आयोग बनाया गया। इस आयोग की शिफारिश पर 1883 में अकाल शंहिता बनी जो 1886 में लागू हुई। इसके तहत एक अकाल कोष बनाया गया जिसमें प्रति वर्ष शरकार द्वारा एक करोड़ रुपये दिये जाने का प्रवधान किया गया।
- 1896-97 में बंगाल अकाल के बाद जॉन व्हाइट हेड आयोग बनाया गया जिसने भारतीय खाद्यानन परिषद के गठन की शिफारिश की।
- इस प्रकार ब्रिटिश अकाल नीति धीमी गति से बहुत लम्बे समय में विकारित हुई तथा इमरेया का व्यापक शमादान करने में विफल हुई फलतः भारत में अकालों के कई दुष्परिणाम शामने आए।
- इसका कृषि क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पशुओं की मृत्यु, जमीन परती रहने से होने वाली क्षति और किसानों की जमा रकम नष्ट हो जाने से कृषि पर प्रतिकूल असर पड़ना अवाभाविक था।
- अकाल के कारण किसानों की ऋण ग्रस्तता बढ़ी।
- कृषि पर प्रभाव पड़ने से उद्योग-इंदृष्टियों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
- भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया तीव्र हुई।
- अुखमरी, दौरिया और बेरोजगारी भारतीय शमाज की एक बुनियादी शर्चार्ड बन गई।

भारत में दक्षतकारी और हस्तशिल्प पर प्रभाव

- चरण -1 जब भारतीय हस्तशिल्प और दक्षतकारी उद्योग ब्रिटिश उत्पादों से श्रेष्ठता की रिस्ति में था।
- वर्ष 1600 से 1757 तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की भूमिका एक व्यापारिक निगम की थी जो भारत में माल या बहुमूल्य धारुएँ लाती थी और उनके बदले कपड़े, मकाले आदि भारतीय माल लेकर उन्हें विदेशी में बेचती थी।
 - इस दौर में कम्पनी के कारण भारतीय निर्यात को बढ़ावा और उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन मिला।

चरण-2 जब भारतीय हस्तशिल्प और दक्षतकारी उद्योग ब्रिटिश उत्पादों के बराबर था या उन्हें टक्कर दे शकता था।

- भारत के साथ कम्पनी के व्यापारिक इंदृष्टियों में 1757 के प्लाटी के युद्ध के बाद एक गुणात्मक परिवर्तन आया।
- बंगाल पर अपने शर्जनीय मिंयत्रण का फायदा उठाते हुए कंपनी ने भारतीय व्यापार और उत्पादन पर एकाधिकार शापित करना प्रांगम्भ किया।
- कंपनी ने बंगाल के बुनकरों को अपना माल कम दामों तथा घाटे पर बेचने को विवश किया।
- इसके अतिरिक्त कई शिल्पकारों को कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया गया तथा भारतीय कारखानों में उनके काम करने पर शैक लगा दी गयी।
- कम्पनी ने अपने भारतीय या विदेशी प्रतिद्वंद्वी व्यापारियों को बाहर कर दिया कंपनी ने कच्चे कपास की बिक्री पर एकाधिकार कर लिया तथा उसके लिए बंगाल के बुनकरों से मनमाने दाम वसूलने लगे।
- इस प्रकार कपास खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों ही घाटे में रहे।
- ब्रिटेन में भारतीय बस्त्रों पर भारी आयात शुल्क भी देना पड़ता था।
- इस कभी प्रयारों के माध्यम से ब्रिटिश शरकार ने अपने बदले हुए मरीगी उद्योग को शंखेशन देने का कार्य किया क्योंकि उसके माल कभी भी उस्ते और बेहतर भारतीय माल का मुकाबला नहीं कर सकते थे।

चरण-3 जब भारतीय हस्तशिल्प और दक्षतकारी उद्योग ब्रिटिश उत्पादों की तुलना में प्रतिअपर्दी नहीं रह गया था।

- 1813 के बाद परिएथितियाँ तेजी से बिगड़ी तथा भारतीय दस्तकारी उद्योग से अब विदेशी बाजार ही नहीं वरन् भारतीय बाजार भी छिन गए।
- युद्ध और औपनिवेशिक शोषण से ब्रिटेन के पास पर्याप्त औद्योगिक पूँजी एकत्र हो गयी थी।
- यह पूँजी व्यापारियों और उद्योगपति वर्ग के पास थी, जो कि जमीदारों के पास जो इसे भोग विलास में खर्च करते।
- जनरलंस्व्या की वृद्धि ने शरते श्रम की आवश्यकताएँ पूरी की।
- ब्रिटेन में एक ऐसी शरकार थी जिस पर व्यापारियों और उद्योगपतियों का प्रभाव था।
- अधिक उत्पादन की मांग औद्योगिकी विकास के द्वारा पूरी की गयी। शहियों पहले किये गए आविष्कारों का अब अपरूप उपयोग होने लगा।
- औद्योगिकरण की प्रक्रिया में एक ऐसी जीवन वर्ग का उद्यय हुआ जिसकी दिलचस्पी ईस्ट इंडिया कंपनी की आंत मुनाफा व्यापार में न होकर तैयार माल के उत्पादन और कच्चे माल के आयात में थी क्योंकि इस वर्ग का लाभ कारखानों के उत्पादन की देन थी।
- इस वर्ग के दबाव की ही देन थी कि 1813 में कंपनी के व्यापारिक आविष्कारों में कटौती हुई।
- इसके पश्चात् ब्रिटिश शासन के द्वारा भारत के साथ विकृति पूर्ण मुक्त व्यापार नीति अपनायी गयी।
- इस नीति के क्षंतर्गत भारत के दस्तावेजे तो विदेशी मालों के लिए खुले छोड़ दिए गए किंतु जो माल ब्रिटिश मालों से प्रतियोगिता कर शकते थे उन पद ब्रिटेन में प्रवेश के लिए भारी आयात शुल्क लगा दिए गए। यह उच्च आयात शुल्क तब तक जारी रहा जब तक उनका निर्यात लगभग बंद नहीं हो गया।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रभाव भी दृष्टिगोचर हुए जिन्हें निम्नलिखित त्रैयों में देखा जा सकता है।

- भारतीय हस्त शिल्पियों के पारंपरिक ग्रामीण कलुदाय के साथ संबंध प्रभावित होने लग गए, क्योंकि गाँवों में भी मरीन से बनी वस्तुएँ पहुँचने लगी।
- अकालों के परिणाम इक्षुप लाखों लोग मारे गए जिनमें दस्तकार और शिल्पी भी थे।
- पारंपरिक रूप से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग गिल्ड पञ्चति के द्वारा नियंत्रित होता था। ब्रिटिश शासन के आगमन के पश्चात् गिल्ड व्यवस्था टूट गयी। अतः शिल्पकारों के कार्य पर निगरानी और अनुशासन रखने वाला कोई नहीं रहा।
- अनुभव और प्रशिक्षण का भी अभाव हो गया जिससे उत्तम कोटि की वस्तुएँ बनना बंद हो गई।

10.1.8 ब्रिटिश शासन और भारत में शिक्षा प्रणाली

10.1.8.1 विभिन्न शैक्षणिक दर्शावानों की स्थापना।

- प्रारंभिक 60 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक विशुद्ध व्यापारिक कंपनी थी। उसका उद्देश्य व्यापार करके केवल अधिक से अधिक लाभ कमाना था तभा देश में शिक्षा को प्रोत्साहित करने में उत्तरी कोई उल्लंघन नहीं थी। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किये गए, वे व्यक्तिगत रूप से पर ही किये गए थे।

इन प्रयासों के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं-

- 1781 में वारेन हेटिंग्टन ने कलकता महानगर की स्थापना की। इसका उद्देश्य, मुरिलम कानूनों तथा इससे राजनीतिक अन्य विषयों की शिक्षा देना था।
- 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेन्ट, जोगाथन डंकन के प्रयत्नों से बनारस में संस्कृत कालेज की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य हिन्दू बिधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था।

- वर्ष 1800 में लार्ड वैलेजली ने कंपनी के आधुनिक आधिकारियों की शिक्षा के लिये फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना की। इस कालेज में आधिकारियों को विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय शिति-टिवाझों की शिक्षा भी दी जाती थी। (किंतु 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कालेज बंद कर दिया गया।)
- कलकत्ता मदरशा एवं संस्कृत कालेज में शिक्षा पद्धति पर ढांचा इस प्रकार तैयार किया गया था कि कंपनी को ऐसी शिक्षित भारतीय नियमित तौर पर उपलब्ध कराये जा सकें, जो शास्त्रीय और स्थानीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता हों तथा कंपनी के कानूनी प्रशासन में उत्की मदद कर सकें।
- न्याय विभाग में अरबी, फारसी और संस्कृत के ज्ञाताओं की आवश्यकता थी ताकि वे लोग न्यायालयों में अंगेज न्यायाधीशों के साथ परामर्शदाता के रूप में बैठ सकें तथा मुश्तिम एवं हिन्दू कानूनों की व्याख्या कर सकें।
- भारतीय रियासतों के साथ पत्र-व्यवहार के लिये भी कंपनी को इन भाषाओं के विद्वानों की आवश्यकता थी।

1813 के चार्टर एक्ट से प्रशंसनीय शुरूआत

- इस चार्टर एक्ट में, भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रारंभ एवं उन्नत करने के लिये कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गयी थी। किंतु इस राशि को व्यय करने के प्रश्न पर विवाद हो जाने के कारण 1823 तक यह राशि उपलब्ध नहीं कराई गयी।
- इस बीच कुछ प्रबुद्ध भारतीयों ने व्यक्तिगत रूप से प्रयास जारी करने तथा शिक्षा के विकास एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना के लिये भारी अनुदान दिया। इनमें राजा राम मोहन दाय का नाम अद्यगण्य है। उन्होंने 1817 में कलकत्ता हिन्दू कालेज की स्थापना के लिये भारी अनुदान दिया। शिक्षित बंगालियों द्वारा स्थापित इस कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाती थी तथा पाठ्यात्य विज्ञान और मानविकी पढ़ाई जाती थी। संरकारके कलकत्ता, झागरा, और बनारस में तीन संस्कृत कालेज स्थापित किये। इसके अतिरिक्त यूरोपीय वैज्ञानिक पुस्तकों का प्राच्य भाषाओं में अनुवाद करने के लिये भी अनुदान दिया गया।

आंग्ल-प्राच्य विवाद

- लोक शिक्षा की सामान्य समिति में दो दल थे। एक दल प्राच्य शिक्षा समर्थन था जिसके नेता एच. टी. प्रिन्सेप थे और दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक।
- प्राच्य शिक्षा समर्थकों का तर्क था कि जहां रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए पाठ्यात्य विज्ञान एवं शाहित्य के अध्ययन को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहां इसके स्थान पर परंपरागत भारतीयों भाषाओं एवं शाहित्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- दूसरी ओर आंग्ल-शिक्षा समर्थकों का मानना था कि भारतीयों को आधुनिक यूरोपीय पद्धति की शिक्षा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस वर्ग में शिक्षा के माध्यम को लेकर विवाद हो गया तथा वे दो दलों में विभक्त हो गये। एक दल, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बनाए जाने पर जोर दे रहा था तो दूसरा दल, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं को बनाए जाने का पक्षाधार था।
- आंग्ल शिक्षा समर्थकों ने निष्कर्ष निकाला कि पाठ्यात्य शिक्षा के माध्यम से ही देश की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक दुर्बलता को दूर किया जा सकता है।
- मिशनरियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि पाठ्यात्य शिक्षा के प्रचार से भारतीयों की उनके परंपरागत धर्म में आश्वासन माप्त हो जाएगी तथा वे ईशाई धर्म ग्रहण कर लेंगे। शीमथपुर के मिशनरी इस क्षेत्र में बहुत उत्साही थे।
- भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के अनुरागी प्रचलित परंपरागत शिक्षा प्रणाली ने अंधविश्वास, उर्ध्वासाधन एवं शतावद को जन्म दिया है।

आंग्ल-प्राच्य विवाद का शमापन

- गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद के शहरी लॉर्ड मैकाले ने आंग्ल-दल का शमर्थन किया।
- 2 फरवरी, 1835 को अपने महत्वपूर्ण अमरण-पत्र में उसने लिखा कि 'शरकार के शीमित अंशाधारों के महेनजर पार्श्वात्य विज्ञान एवं शाहित्य की शिक्षा के लिए, माध्यम के रूप में अंग्रेजी भाषा ही अर्वोत्तम है।'
- मैकाले ने कहा कि "भारतीय शाहित्य का अत्र यूरोपीय शाहित्य की तुलना में अत्यंत मिळ है।" उसने भारतीय शिक्षा पद्धति एवं शाहित्य की आलोचना करते हुए अंग्रेजी भाषा का पूर्ण शमर्थन किया। मैकाले के इन सुझावों के पश्चात् शरकार ने शीघ्र ही अंकूलों एवं कॉलेजों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया।

प्रभाव

- शरकार ने बड़ी अंख्या में प्राथमिक अंकूल खोलने की बजाय अंग्रेजी अंकूल और कॉलेज खोले।
- शरकार को और कुछ नहीं तो कम से कम शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए कॉलेजों की स्थापना करनी चाहिए थी परन्तु इसने ऐसा नहीं किया।
- आम जनता को भी शिक्षित किया जाना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
- शरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वह शिक्षा पर शीमित अंशाधारों की ही लंबा करना चाह रही थी।
- शरकार का विश्वास था कि अले ही प्रारंभ में शिक्षा का लाभ और मध्य वर्ग के लोगों तक ही शीमित रहे किन्तु धीरे-धीरे इसके लाभ जन साधारण तक पहुंचेगा। इसे ही अधिमुखी नियन्त्रण शिष्टांत या विष्वेशन शिष्टांत के रूप में जाना जाता है।

थॉमसन के प्रयास

उत्तर -पश्चिमी प्रांत (आधानिक उत्तर प्रदेश) के लेफिटनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन (1843-53) ने देशी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले छोटे-छोटे अंकूलों को बंद कर दिया गया। अब केवल कालेजों में ही अंग्रेजी भाषा शिक्षा का माध्यम रह गयी। गांव के अंकूलों में कृषि विज्ञान तथा कौशिकी त्रैयोगी विषयों का अध्ययन प्रारंभ किया गया। अध्ययन के लिए देशी भाषाओं को माध्यम के रूप में चुना गया। इस योजना के पीछे थॉमसन का उद्देश्य यह था कि नवगठित राजस्व तथा लोक निर्माण विभागों के लिये शिक्षित व्यक्ति उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त एक शिक्षा विभाग का भी गठन किया गया।

चाल्टी वुड डिस्पैच, 1854

"भारतीय शिक्षा का मैग्ना-कार्ट" कहा जाने वाला चाल्टी वुड का यह डिस्पैच भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित पहला विस्तृत प्रस्ताव था। इस डिस्पैच की प्रमुख शिफारिशें निम्नलिखित थीं।

- इसमें शरकार से कहा गया कि वह जनसाधारण की शिक्षा का उत्तराधिकार अवश्य वहन करें। इस प्रकार अधिमुखी नियन्त्रण शिष्टांत कागजों में ही शिमट कर रह गया।
- इसने सुझाव दिया कि गांवों में देशी-भाषाई प्राथमिक पाठ्यालायें स्थापित की जाएं, उनसे ऊपर डिला अत्र पर आंग्ल-देशी-भाषाई हाईर-अंकूल तथा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसीडेंसी शहरों-बंबई, कलकता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाएँ। इन विश्वविद्यालयों में एक कुलपति, एक शीनेट और उसके अधिकारी होंगे। इन सभी की नियुक्ति शरकार द्वारा की जाएगी। ये विश्वविद्यालय परीक्षाएं आयोजित करेंगे तथा उपाधियाँ देंगे।
- इसने उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी तथा अंकूल अत्र की शिक्षा का माध्यम देशी भाषाओं को बनाए जाने का सुझाव दिया।

- इसने लंगी शिक्षा तथा व्यावशायिक शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया तथा तकनीकी विद्यालयों एवं अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की शिफारिश की।
- इस क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोटोहित करने के लिये अनुदान शहायता की पद्धति चलाने की शिफारिश भी इसने की। कंपनी के पांचों प्रांतों में एक-एक निदेशक के अधीन लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की गयी। इस विभाग का कार्य शिक्षा की उन्नति एवं उसके प्रचार-प्रशार की समीक्षा करना तथा शरकार को प्रतिवर्ष इस अंबंध में रिपोर्ट भेजना था।
- इसने इस बात पर बल दिया कि शरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा, धर्मनिपेक्ष हो।
- इसने इस बात की घोषणा की कि शरकार की शिक्षा नीति का अद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा का प्रशार है। 1857 में कलकता, बंबई तथा मद्रास में विश्वविद्यालय खोले गये तथा बाद में अभी प्रांतों में शिक्षा विभाग का गठन भी कर दिया गया। 1840 से 1858 के मध्य लंगी शिक्षा के क्षेत्र में किये गये प्रयत्नों के सार्थक परिणाम तब मिली जब डॉ.डी. बेथुन द्वारा 1849 में कलकता में बेथुन अक्सल की स्थापना की गयी। बेथुन, शिक्षा परिषद के अध्यक्ष थे। मुख्यतः बेथुन के प्रयत्नों द्वारा कुछ अन्य महिला पाठशालाओं की स्थापना भी गई और इन्हें शरकार की अनुदान और नियन्त्रण पद्धति के अधीन लाया गया।
- चाल्स वुड द्वारा अनुमोदित विधियाँ एवं आदर्श लगभग 50 वर्षों तक प्रभावी रहे। इसी काल में भारतीय शिक्षा का तीव्र गति से पाश्चात्यिकरण हुआ तभी अनेक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की गई। इस काल में शिक्षण संस्थाओं में प्रधानाध्यापक एवं आचार्य मुख्यतया यूरोपीय ही नियुक्त किये जाते थे। ईसाई मिशनरी संस्थाओं ने भी इस दिशा में अपना योगदान दिया। ईरि-ईरि निजी भारतीय प्रयत्न भी इस दिशा में किये जाने लगे।

हन्टर शिक्षा अयोगत्र 1882-83

क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिये 1882 में शरकार ने डब्ल्यू.डब्ल्यू. हन्टर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग का कार्य प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा करना और इनमें सुधार और विस्तार के लिए आवश्यक अनुशंसाएँ करना था। विश्वविद्यालयों की समीक्षा करना इसका कार्य नहीं था। इसके सुझाव निम्नलिखित थे:-

- शरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विजयों में हो। निजी प्रयत्न का अवागत हो परन्तु प्राथमिक शिक्षा उसके बिना भी दी जानी चाहिए। इस प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित डिला और नगर बोर्डों को दे दिया जाए। शिक्षा के लिये वे उपकर भी लगा शकते थे।
- माध्यमिक शिक्षा के दो खण्ड हों, एक में शाहितियक शिक्षा जो विश्वविद्यालय की प्रवेश के लिये विद्यार्थी तैयार करे और दूसरी व्यावहारिक ढंग की जो विद्यार्थियों को व्यावशायिक तथा व्यापारिक जीवन के लिए तैयार करे।
- निजी प्रयत्नों की शिक्षा के क्षेत्र में पूर्णरूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिये शहायता अनुदान में उदासता तथा शहायता प्राप्त पाठशालाओं को शरकारी पाठशालाओं के बराबर मान्यता प्राप्त करने इत्यादि के लिए अवश्य होने चाहिए। जितना शीघ्र हो उके शरकार की माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा से हट जाना चाहिए।
- आयोग ने प्रेरितेंशी नगरों (बम्बई, कलकता और मद्रास) के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने को कहा। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के फलस्वरूप दानदाताओं के विशेष शहीयों से अगले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। हालांकि साम्प्रदायिक शिक्षण संस्थाओं का निर्माण भी इसी समय आरम्भ हुआ। पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय तथा प्राच्य भाषाओं के पठनपाठन में भी विशेष अधिक देखने को मिली। इसके अतिरिक्त अध्यापन तथा परीक्षा विश्वविद्यालय भी बनने लगे। 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किये गये।

भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1904

कर्डन ने शिमला में समस्त भारत के उच्चतम शिक्षा और विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन के उद्देश्य भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करना तथा शिक्षा के लिए एक नयी योजना बनाना था। इस सम्मेलन के परिणामस्वरूप एक आयोग जरूर टॉमस ऐले की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग का उद्देश्य विश्वविद्यालयों की विधियों का अनुमान लगाना था। और उनके संविधान तथा कार्यक्षमता के विषय में सुझाव देना था। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा इस आयोग के कार्यक्षेत्र में नहीं थी। इस आयोग की अनुशंसाओं के फलस्वरूप 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इसके मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे:-

- विश्वविद्यालयों को चाहिए कि वे अध्ययन तथा शोध के लिए प्राध्यापकों तथा व्याख्याताओं की नियुक्ति का प्रबंध करें, पाठ्यालालों और पुस्तकालय उथापित करें और विद्यार्थियों को शीघ्र शिक्षा देने का भार ऊपर ले।
- विश्वविद्यालय के उपराज्यों की संख्या 50 से कम और 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए और इनकी उपराज्यता आजीवन न होकर मात्र 6 वर्ष तक के लिए होनी चाहिए।
- उपराज्य मुख्य रूप से शरकार द्वारा मनोनीत होने चाहिए। युन हुए उपराज्यों की संख्या, कलकता, बंबई और मद्रास विश्वविद्यालयों में अधिकतम 20 और शेष में 15 होनी चाहिए।
- विश्वविद्यालयों पर शरकार का नियंत्रण बढ़ा दिया गया और शरकार को शीनेट द्वारा बनाए नियमों में परिवर्द्धन अथवा संघीषण कर शकती थी और यदि यह तो न हो तो नियम भी बना सकती थी।
- इस अधिनियम द्वारा अशाशकीय कॉलेजों पर शरकार का और अधिक कठोर नियंत्रण कर दिया गया अर्थात् सम्बद्धता की शर्तें अधिक कठोर हो गई और इंडिकेट को कॉलेजों का समय-समय पर नियंत्रण करने का भार सौंपा गया। इन कॉलेजों को अपनी कार्यक्षमता उचित रूप से परिवर्द्धन कर शकती थी।
- गवर्नर-जनरल को इस विश्वविद्यालयों की क्षेत्रीय सीमाएं निश्चित करने का अधिकार दे दिया गया। विद्यान परिषद के अन्दर और बाहर राष्ट्रवादी तत्वों ने इस अधिनियम की कड़ी आलीचना की। यहाँ तक कि 1917 में टैंडलर आयोग ने भी इस तथ्य को अधिकार किया कि 1904 के अधिनियम से "भारतीय विश्वविद्यालय संसार में शब्द से अधिक पूर्णतया शरकारी विश्वविद्यालय बन गए थे" परन्तु कर्डन की इस नीति का यह परिणाम अवश्य हुआ कि 1902 से 5 लाख रुपया वार्षिक पांच वर्ष के लिए विश्वविद्यालयों के सुधार के लिए निश्चित किया गया और इसके पश्चात शरकारी अनुदान शरकारी नीति की एक नियमित विशेषता बन गई।

21 फरवरी, 1913 का शिक्षा नीति पर शरकारी (Government Resolution on Education Policy) प्रस्ताव बड़ौदा डैंटी प्रगतिशील रियासत ने अपने यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा 1906 में आरम्भ कर दी थी। 1910 से 1910 तक विद्यान परिषद में गोखले एवं अन्य राष्ट्रवादियों से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से प्रयत्न किए। 21, फरवरी 1913 के प्रस्ताव से शरकार ने अनिवार्य शिक्षा के शिक्षांत को तो अधिकार नहीं किया। अपितु नियंत्रण समाप्त करने की नीति को अवश्य अधिकार किया। उसने प्रान्तीय शरकारों को शला ह दी कि वह समाज के निर्धारण तथा अधिक प्रछड़े हुए वर्ग को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध करें। इस क्षेत्र में व्यवितरण प्रयत्नों को भी समर्थन दिया गया। माध्यमिक शिक्षा के लिए पाठ्यालालों को भी अधिक उत्तम बनाने का सुझाव दिया गया। विश्वविद्यालय के शब्द में यह सुझाव अधिकार किया गया कि प्रत्येक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय अवश्य होना चाहिए और विश्वविद्यालयों को शिक्षण कार्य अधिकारिक करना चाहिए।

सेडलर विश्वविद्यालय आयोग, 1917-19 - 1917 (Sadler University Commission) में कलकता विश्वविद्यालय की समर्थ्याङ्कों का अध्ययन कर इसकी रिपोर्ट देने के लिए सरकार ने एम.ई. सेडलर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। इस आयोग के अध्ययन को भारतीय उत्तर आशुतोष मुकर्जी और जियाउद्दीन अहमद भी थे। इस आयोग ने प्राथमिक से लेकर विश्वविद्यालय तक तक की शिक्षा व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय की शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। यद्यपि यह रिपोर्ट केवल कलकता विश्वविद्यालय के विषय में थी परन्तु यह अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के विषय में भी सत्य थी।

इसकी निम्नलिखित रिफारिशें थीं-

1. एकूल की शिक्षा 12 वर्ष की होनी चाहिए और विद्यार्थियों को हाई एकूल के पश्चात् नहीं अपितु उत्तर माध्यमिक परीक्षा (intermediate examination) के पश्चात् विश्वविद्यालय में भर्ती होना चाहिए। इसके लिए सरकार को उत्तर माध्यमिक प्रकार के महाविद्यालय (Intermediate College) बनाने चाहिए। ये महाविद्यालय चाहे तो एवंत्र रूपों के रूप में रहें अथवा हाई एकूल से सम्बन्धित रहें। इनके प्रशासन तथा नियन्त्रण के लिए एक माध्यमिक तथा उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गठन का सुझाव दिया गया।
2. उत्तर माध्यमिक शिक्षा चरण के पश्चात् इनातक (Bachelor) की उपाधि (degree) के लिए शिक्षा तीन वर्ष की होनी चाहिए। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए प्रावीण्य (Honours) पाठ्यक्रम और साधारण (pass) पाठ्यक्रम पृथक होना चाहिए।
3. विश्वविद्यालयों के नियम बनाने में कठोरता नहीं होनी चाहिए।
4. पुराने, सम्बद्ध विश्वविद्यालयों (affiliating universities) जिनमें कॉलेज दूर-दूर विस्तरे होते थे, के स्थान पर केन्द्रित एकाकी आवासिक अध्यापन और रखयता पूर्ण (Unitary-residential-teaching and autonomous) संरचाए बनानी चाहिए। कलकता विश्वविद्यालय पर भार कम करने के लिए ढाका में एकाकी तथा अध्यापन (unitary and teaching) विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए और इसी प्रकार यह प्रयत्न होना चाहिए कि अन्य विश्वविद्यालय भी शिक्षा के केन्द्र बन सकें।
5. महिला शिक्षा के लिए सुविधाओं का प्रशासन होना चाहिए और कलकता विश्वविद्यालय में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक विशेष बोर्ड बनाना चाहिए।
6. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए प्रचुर सुविधाएँ होनी चाहिए। और इसके लिए ढाका और कलकता विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग स्थापित किए जाने चाहिए।
7. विश्वविद्यालय को यह भी कहा गया कि वह व्यापारिक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में पाठ्यक्रमों का प्रबंध करें और उनके लिए अध्ययन तथा अभ्यास प्राप्त करने का प्रबंध करके डिप्लोमा तथा इनातक की उपाधि प्राप्त करने का प्रबंध करें। इसी प्रकार विश्वविद्यालयों को व्यावसायिक कॉलेज भी खोलने चाहिए।

1916 और 1921 के बीच नए विश्वविद्यालय मैसूर, पटना, बनारस, झजीगढ़, ढाका, लखनऊ और उत्तरान्ध्र अस्थितित्व में आए। 1920 में सरकार ने सेडलर आयोग की रिपोर्ट की रिफारिशें को सभी प्रान्तीय सरकारों पर भी लागू करने का आग्रह किया।

द्वैत शासन के अन्तर्गत शिक्षा (Education Under Dyarchy)

- 1919 के मॉटियू-चेम्लफोर्ड सुधारों के अधीन प्रान्तों में शिक्षा विभाग निर्वाचित मंत्रियों के नियंत्रण में दे दिया गया।
- केंद्रीय सरकार ने अब प्रत्यक्षतः शिक्षा में उच्च रैंकी बंद कर दी और इस विभाग को अन्य विभागों में मिला दिया।
- शिक्षा के लिए केन्द्रीय अनुदान जारी रखना।

- वित्तीय कठिनाईयों के कारण प्रान्तीय शरकारों ने शिक्षा योजनाओं को हाथ में नहीं लिया था।

हार्टोग शमिति, 1929 - 1929 में भारतीय वैद्यानिक आयोग (Indian Statutory Commission) ने 12 फ़िलिप हार्टोग की अध्यक्षता में एक शहायक शमिति नियुक्त की जिसे शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने को कहा गया। इस शमिति की रिपोर्ट निम्नलिखित थी-

- इसने प्राथमिक शिक्षा के राष्ट्रीय महत्व पर बल दिया परन्तु शीघ्र प्रशार अथवा अनिवार्यता की निनदा की। सुधार और एकीकरण (improvement and consolidation) की नीति की रिपोर्ट की।
- माध्यमिक शिक्षा के विषय में कहा गया कि इसमें मैट्रिक परीक्षा पर ही बल दिया गया है। बहुत से अनुचित विद्यार्थी इसको विश्वविद्यालय शिक्षा का मार्ग नमझते हैं। इसने रिपोर्ट की कि ग्रामीण वृति (rural pursuits) के विद्यार्थियों को वर्गीकृत ग्रामीण शैक्षणिक संस्कृत और कॉलेज प्रवेशों पर रोक लगाई जाए और उन्हें व्यावसायिक और शैक्षणिक शिक्षा दी जाए।
- विश्वविद्यालय शिक्षा की दुर्बलताओं की और ध्यान आकर्षित किया गया और विवेकहीन प्रवेशों की आलोचना की गई। जिससे शिक्षा का अवृत्त गिरता है। यह सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय शिक्षा को सुधारने का पूर्ण प्रयत्न किया जाए और विश्वविद्यालय अपने कर्तव्य तक ही अपने आपको शीमित रखें और जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के योग्य हैं, उन्हें अच्छी और उच्च शिक्षा दी जाए।

प्राथमिक (मूल) शिक्षा की वर्द्धा योजना - भारत शरकार अधिनियम 1935 के अनुसार प्रान्तों को अवायताता दे दी गई और लोकप्रिय मंत्रिमण्डल 1937 से कार्य करने लगे। 1937 में महात्मा गांधी ने अपने पत्र हरिजन में लेखों की एक श्रृंखला प्रकशित की और एक शिक्षा योजना का प्रस्ताव दिया जिसे मौलिक अथवा आधार शिक्षण अथवा वर्द्धा योजना अंज्ञा दी गई है। जाकिर हुसैन शमिति ने इस योजना का व्यौत्त प्रस्तुत किया और कई शिल्पों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किए। इसने अध्यापकों के प्रशिक्षण, परीक्षण, तथा प्रशासन के सुझाव भी दिए। योजना का मूलभूत शिष्टाचार "हस्त उत्पादक कार्य" (manual productive work) था, जिससे शिक्षकों के वेतन का भी प्रबंध हो जाता। इसके अन्तर्गत विद्यार्थी को मातभाषा में शात वर्ष तक विद्याध्ययन करना था। द्वितीय विश्वयुद्ध के आस्तम्भ होने और मंत्रीमण्डलों के त्यागपत्र देने से यह योजना खटाई में पड़ गई। इस कार्य को 1947 के पश्चात् राष्ट्रीय शरकार ने हाथ में लिया।

शिक्षा की शार्जेण्ट योजना - 1944 में केंद्रीय शिक्षा शलाहकार बोर्ड (Central Advisory board of Education) ने एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना तैयार की जिसे प्रायः शार्जेण्ट योजना कहा जाता है। 12 जान शार्जेण्ट भारत शरकार के शिक्षा शलाहकार थे। इस योजना के अनुसार :

- म्याह से अत्रह वर्ष के बच्चों के लिए 6 वर्ष का पाठ्यक्रम बनाया गया।
- दो प्रकार के उच्च विद्यालय- एक विद्या विषयक और दूसरा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा के लिए योजना में शामिल थी।
- इस योजना में इंटरमीडियट श्रेणी को समाप्त करने की व्यवस्था की गई थी।
- 40 वर्ष के अन्दर की शिक्षा के पुनर्निर्माण कार्य को अनितम रूप देना था, किंतु कालांतर में लेइ शमिति ने इस अमर्य शीमा को घटाकर 16 वर्ष कर दिया गया।

'शार्जेण्ट योजना' के बाद 15 अगस्त, 1947 को भारत अवंत्र हो गया और इसी के साथ भारतीय शिक्षा में ब्रिटिश काल भी समाप्त हो गया।

विश्लेषण

ब्रिटिश राज के अधीन भारत में पार्श्वात्य ज्ञान या अन्य किसी प्रकार के ज्ञान के प्रशार हेतु तमाम दावों के बावजूद कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया। जो भी प्रयास किये गए उनकी पृष्ठभूमि में लोक कल्याण की आवगा ना होकर औपनिवेशिक हितों को शादगा था। औपनिवेशिक हितों का विश्लेषण निम्नलिखित बिन्दुओं के अंतर्गत किया जा सकता है -

- प्रशासन का खर्च कम करना शर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। शिक्षित भारतीय यूरोप से कर्मचारियों को लाने की अपेक्षा इसे पड़ते थे।
- शरकार की योजना जनसाधारण में से एक तबकि को शिक्षित कर एक ऐसी श्रेणी बनाने की थी जो “एक एवं दो भारतीय हो परंतु अपने विचार, नैतिक, मापदण्ड, प्रज्ञा एवं प्रवृत्ति से अंग्रेज हो।”
- शिक्षित भारतीय ईंग्लैड में बनी वस्तुओं के बाजार का भारत में विस्तार करेंगे।
- यह श्रेणी ऐसी हो कि यह शरकार तथा जन-साधारण के बीच दुआजिये (interpreters) की भूमिका निभा सके। इस प्रकार पार्श्वात्य विज्ञान तथा शाहित्य का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंच जायेगा।
- पार्श्वात्य शिक्षा भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन को द्वीकार करने के लिए प्रेरित करेगी।

परिणाम

- परंपरागत शिक्षा प्रणाली अमाप्त हो गयी।
- 1844 के एक शरकारी आदेशानुसार शरकारी रोजगार के लिए आवेदन करने वालों को अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक था। इससे अंग्रेजी माध्यम वाले शूल अधिक लोकप्रिय हो गए।
- भारत शाकारता के मामले में शदियों पीछे चला गया।
- अंग्रेजी के ऊपर अधिक बल ने जनता में शिक्षा का प्रशार नहीं होने दिया फलस्वरूप शिक्षित भारतीयों और शिक्षित भारतीयों के बीच भाषा तथा अंतर्कृति की खाई उत्पन्न हो गयी।
- शिक्षा काफी महंगी थी, अतः धनी वर्ग और शहरी लोगों का इस पर एकाधिकार हो गया।
- लड़कियों की शिक्षा की बिलकुल अवहेलना की गई थी, क्योंकि शरकार चिंतित थी कि उद्धवादी आवनाओं पर चोट न पहुंच।
- विदेशी अधिकारियों की नजर में लंबी-शिक्षा की कोई तात्कालिक उपयोगिता नहीं थी, क्योंकि शिवियों को शरकारी दफतरों में कर्कर नहीं बनाया जा सकता था।
- कंपनी के प्रशासन में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा की भी अवहेलना की गयी।

स्वतंत्रता के पश्चात् शिक्षा का विकास

राष्ट्राकृष्णन आयोग 1948-49- नवम्बर 1948 में शरकार ने डॉक्टर राष्ट्राकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयेग जियुक्त किया जिसे विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी और उसके सुधार के लिए अपनी रिफारिंशें देनी थी। अगस्त 1949 में दी गई इस रिपोर्ट की मुख्य रिफारिंशें निम्नलिखित थीं।

1. विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन।
2. विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए जो 11-11 अप्ताहों के तीन शत्रों में बंटी होनी चाहिए।
3. उच्च शिक्षा की तीन मुख्य उद्देश्य होने चाहिए - शामान्य शिक्षण, अंतर्कारी शिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा इसमें पहली शिक्षा पर अधिक बल दिया जाना चाहिए क्योंकि अब तक इसके महत्व को समझा नहीं गया था। इसी प्रकार कृषि, शिक्षा शास्त्र, अभियांत्रिकी तथा तकनीकी, विद्या और चिकित्सा विज्ञान पर अधिक बल देना चाहिए। वर्तमान अभियांत्रिकी और तकनीकी अंतर्थाओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानना चाहिए और उनके सुधार के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

4. प्रशासनिक लेवाओं के लिए विश्वविद्यालय की इनातक की उपाधि आवश्यक नहीं होनी चाहिए।
5. चूंकि इनातकीय उपाधि के लिए तीन वर्ष लगते हैं अतएव यह वांछनीय नहीं है कि कभी वर्षों के कार्य की हमें एक परीक्षा से ही विवेचन करें। यथारंभव भिन्न-भिन्न विषयों की भिन्न-भिन्न इतरों पर परीक्षा हो।
6. कभी विश्वविद्यालयों के इतर एक समाज किए जाएं और उन्हें उठाए जाएं। शिक्षा को समर्पित शूची में सम्मिलित किया जाए।
7. विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि की जाए।
8. एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया जाए जो देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देख-ऐख करे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) - राष्ट्राकृष्णन आयोग की शिफारिशों को कार्यान्वयन करने के लिए 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बनाया गया। इसे इंसाद के अधिनियम के अनुशार एक इवायतात वैद्यानिक रिथ्ति प्रदान की गयी।

कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66- शिक्षा के कभी पक्षों तथा इतरों के विषय में राष्ट्रीय नमूने की रूपरेखा, साधारण रिष्ट्रांट तथा नीतियों की रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से जुलाई 1964 में डॉक्टर डी. एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। प्रमुख देशों के शिक्षाशास्त्री तथा वैज्ञानिक इससे समबद्ध किए गए।

आयोग ने निम्नलिखित शुझाव दिए

1. शिक्षा के कभी इतरों पर सामान्य शिक्षा के अनिवार्य अंग के रूप में समाज लेवा और कार्य अनुभव जिसमें हाथ से काम करने तथा उत्पादन अनुभव इत्यादि सम्मिलित हो, आरम्भ किए जाने चाहिए।
2. गैतिक शिक्षा तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने पर बल दिया गया। विद्यालयों को अपने इस उत्तरदायित्व की शंगङ्गा चाहिए कि उन्हें युवकों को विद्यालय के इंसार से कार्य तथा जीवन के इंसार में ले जाने में सहायता देनी है।
3. माध्यमिक शिक्षा को व्यावशायिक बनाया जाए।
4. उन्नत अध्ययन केंद्रों (Centres of Advanced Studies) को अधिक शुद्ध बनाया जाए और बड़े विश्वविद्यालयों में एक छोटी-सी इंस्था ऐसी बनाई जाए जो उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने का उद्देश्य है।
5. विद्यालयों के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण तथा गुणवता पर विशेष बल दिया जाए।
6. शिक्षा के पुनर्निर्माण में कृषि, कृषि में अनुसंधान तथा इससे सम्बन्धित विज्ञानों को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (National policy on Education) - मुख्यतः कोठारी आयोग की शिफारिशों के आधार पर 1968 में भारत सरकार ने शिक्षा पर एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें निम्नलिखित तत्वों पर बल दिया गया था:-

1. 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा।
2. अध्यापकों के लिए पद तथा वेतन में वृद्धि।
3. त्रि-भाषा फार्मले को द्विकार करना और क्षेत्रीय भाषाओं का विकास।
4. विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का समानीकरण (equalisation)
5. कृषि तथा उद्योग के लिए शिक्षा का विकास।
6. पाठ्य-पुस्तकों को अधिक उत्तम बनाना और संस्कृती पुस्तकों का उत्पादन।
7. राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करना।

नवीन शिक्षा नीति, 1986

नवीन शिक्षा नीति का उद्देश्य हमारे गतिहीन समाज को ऐसे गतिशील समाज में परिवर्तन करना है, जिसमें विकास तथा परिवर्तन के प्रति व्यवहार हो। इस नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे:-

1. 1986 की 36 प्रतिशत साक्षरता को 2000 ई. तक बढ़ाकर 56 प्रतिशत करना।
2. प्रारंभिक शिक्षा को शर्वव्यापी बनाना।
3. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को व्यावशायिक बनाना। लक्ष्य यह था कि 1990 तक 10 प्रतिशत विद्यार्थी इसकी परिषिधि में आ जाएं और 1995 तक 25 प्रतिशत।
4. उच्च शिक्षा में शुद्धार लाना ताकि अर्थव्यवस्था की आष्टुनिकीकरण तथा शार्वभौमिकता में विद्यमान चुनौतियों का सम्मान करने के लिए जन शक्ति को प्रशिक्षित किया जा सके।
5. शिक्षा का सामाजिक प्रसंग होना चाहिए और पाठ्यचर्या ऐसी बनाई जाए जिससे विद्यार्थियों के मन में शंखिदान में दिए गए उत्तम शिष्टांतों को विद्यार्थी अपनायें अर्थात्:-
 - वे राष्ट्रीय विरासत में गौरव अनुभव करें।
 - वे धर्म मिशनों तथा सामाजिक न्याय के शिष्टांतों के प्रति व्यवहार हों।
 - वे देश की एकता तथा अखण्डता के प्रति अनुरक्त हों।
 - वे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिपत्ति के नियम में कट्टर विश्वासी बन जाएं।

સુધાર આંદોલન

પૃષ્ઠભૂમિ

19 વી શતાબ્દી કे સામાજિક ઔર ધાર્મિક આંદોલનોં ને ભારતીય રાષ્ટ્રવાદ કી પૃષ્ઠભૂમિ તૈયાર કર્ણે મેં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા નિભાઈ હૈ | સુધાર આંદોલનોં કે પ્રશાર કા મુખ્ય કારણ પદ્ધિચી શિક્ષા ઔર ઉદાર વિચારોં કે પ્રશાર થા | યે સુધાર આંદોલન બંગાળ મેં પ્રારંભ હોકર પૂરે દેશ મેં ફેલ ગએ |

ઉલ્લેખનીય હૈ કી યે આંદોલન ઝલગ-ઝલગ સમય મેં વિશિષ્ટ ક્ષેત્રોં, વિભિન્ન ધર્મો તક સીમિત થે, કિન્તુ ઇન્મેં એકસ્થપતા કે તત્ત્વ ભી વિદ્યમાન થે |

ઉન્નીશવી શક્તિ મેં દર્શન, શાહિત્ય, વિજ્ઞાન, શરીરી શામાજિક સુધારોં કે ક્ષેત્ર મેં હુંડી શામાજિક-બૌઢ્ધિક ક્રાંતિ કો ભારતીય પુનર્જાગરણ કે રૂપ મેં જાના જાતા હૈ | ઇસકે ફલસ્વરૂપ ભારતીય સમાજ મેં કુછ ધાર્મિક વ શામાજિક સુધાર આંદોલન પ્રારંભ હુએ જિન્હેને ભારતીય સમાજ કે સ્વરૂપ પરિવર્તન કે સાથ હી ઉથી આધુનિકિકરણ ભી કિયા |

18વી-19વી શતાબ્દી મેં ભારત કી શામાજિક, ધાર્મિક, શૈક્ષણિક એવ શરીરીતિક રિસ્થાતિ:

- ધાર્મિક આરથાઓ ઔર શામાજિક વ્યવહારોં કે મધ્ય ઝંતાં: શમંદા એવ ઝર્થવ્યવસ્થા મેં આર્થિક ક્રિયાઓં કે નિષ્પાદન મેં જાતિ કા એક મહત્વપૂર્ણ કારક હોના, તાત્કાલિક સમાજ કે મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા થી
- સંસ્કાર ઔર ધર્મ આધારિત જાટિલ વર્ગ વ્યવસ્થા એવં જાતીય જાનિમાન ને સમાજ કો ઉચ્ચ એવં નિમ્ન વર્ગો મેં બાંટ રહ્યા થા ઔર પ્રત્યેક વ્યક્તિ કે શામાજિક રિસ્થાતિ કા નિર્ધારણ ઉથી વર્ગ(જાતિ) સે કિયા જાતા થા | ઇસ વ્યવસ્થા ને સમાજ કો ઇન્ને ટુકડોં મેં બાંટ દિયા થા કી વહ નિષ્ક્રિય ઔર શક્તિહિન્હીન હો ચુકા થા | હિન્દુ સમાજ કા યહ નિયલા વર્ગ શામાજિક સમ્માન ઔર આર્થિક સુવિધાઓં કે લિએ ઈસાઈ ધર્મ સ્વીકાર કર રહા થા |
- ઇસકે આતિરિકત ઝન્ય કર્દી પ્રકાર કે શામાજિક નિયંત્રણ, અંધાવિશ્વાસ, ધાર્મિક કદૂરતા, અંધ નિયતિવાદ, છૂંઘાછૂં પ્રથા તૈયી કારક ભી વિદ્યમાન થે જિન્હેને સમાજ કો ડડ બના દિયા થા |
- મહિલાઓં કે રિસ્થાતિ સબરી ર્યાદા ચિંતાજનક થી | સમાજ મેં લતી પ્રથા, બાલ વિવાહ, કન્યા શિશુ હત્યા આદિ તૈયી ક્રૂર પ્રથાએ વિદ્યમાન થી, વિદ્વા પુનર્વિવાહ વર્જિત થા | લડકી કા જન્મ દુર્ભાગ્યપૂર્ણ માના જાતા થા, ઉથી વિવાહ એક બોઝી કે સમાન થા ઔર વિદ્વા હોને પર તો વહ સમાજ કે લિએ ઝશુભ હી હો જાતી થી |
- સંચાર એવં યાતાયાત કે શાદીનોં કી સીમિત ઉપલબ્ધતા હોને કે કારણ શામાજિક ઔર આર્થિક ગતિશીલતા નિમ્ન થી | શામાજિક ગતિશીલતા નિમ્ન હોને કે કારણ લોગોં મેં ક્ષેત્રીય લગાવ (ક્ષેત્રીય દંબ) અધિક થા | પ્રત્યેક સ્વયં કો દૂસરોં સે શ્રેષ્ઠ સમજાતા થા |
- શૈક્ષણિક રિસ્થાતિ નિમ્ન થી તથા યહ સીમિત હોને કે સાથ ઝદિકતર ધર્મ આધારિત થી, જિન્હેને ફારદી ઔર સંસ્કૃત ભાષા કા વર્ચાસ્ત થા એવ ઉક્ત ભાષાઓં પર કુછ વિશેષ વર્ગ કા એકાધિકરણ થા |
- ઇસી કાલ મેં બિટિશ સાંઘાર્ય કે રિસ્થાતિ મેં સુદૂર્ધીકરણ હુંઝા એવં યહ એક અખિલ ભારતીય સ્વરૂપ લેને લગા થા |

સુધારવાદી આંદોલનોં ને ઉપર્યુક્ત તત્વોં કો એક પતનશીલ સમાજ કે લક્ષ્યોનોં કે રૂપ મેં ચિહ્નિત કરતે હુએ આધુનિકિકરણ કે લિએ એક શામાજિક વાતાવરણ કે નિર્માણ કા કાર્ય આરંભ કિયા |

- 18વી ઔર 19વી શતાબ્દી કે દૌરાન ઝંગોઝો દ્વારા ભારત કી વિજય ને કુછ ગંભીર કમજોરિયોં ઔર શાથ હી ભારતીય શામાજિક સંસ્થાઓં કી કમિયોં કી ભી ઉદ્ઘાટિત કિયા | વાસ્તવ મેં ઇસકે પ્રતિ લોગોં કી પ્રતિક્રિયા ઝલગ-ઝલગ થી, કિન્તુ ઇન સબકે બાવજૂદ શામાજિક ઔર ધાર્મિક જીવન મેં સુધાર કો સભી આવશ્યક માનતે થે |